फर्द अहकाम

मेजु पावला बनाम रश्मि पावला

ालय

ा 225/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
23/7/24	वकील वादी ने वाद बाबत चौपना/ दुरूस्ती इन्द्राज अन्तर्गत धारा 88, 89 का पेश किया है रिपोर्ट सरिश्ता संलग्न है। [illegible] पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर व दस्त वकील वादी [illegible] वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाकर [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर [illegible] [illegible] तामील [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

ासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
 पत्र : 225 / 2024
ीय दिनांक : 23.07.2024

मंजू चावला पत्नी रोहित चावला, जाति खटीक, निवासी प्लाट नं. 222, हिम्मत नगर, टोंक रोड, जयपुर हाल 309. शांति नगर, रोड नं. 2, दुर्गापुरा, जयपुर

वादीया

बनाम

रश्मि चावला पत्नी भूपेश चावला, जाति खटीक, निवासी 85, कैलाशपुरी, टोंक रोड, जयपुर
राजस्थान सरकार, माध्यम से लाइंड होल्डर, तहसीलदार, सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

वादिया की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि भूमि हाल खाता सं. 191 में र्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 300 रकबा 0.4200 हेक्टेयर, खसरा नंबर 301 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, ासरा नंबर 302 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 303 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 4 का ुल रकबा 1.4700 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गंवार ब्राह्मणान, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू.अ.नि. त्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में, स्थित है जिसका हिस्सा 1/2 भूमि विवादग्रस्त ; जिसे कि वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त ूमि खसरा नंबर 300, 301, 302, 303, 306, 307, 308, 309, 310, 316, 317, 318, 319 कुल केता 13 का कुल रकबा 2.9400 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 भाग को वादीया व प्रतिवादीया सं. 1 ारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांकित 20/01/2005 को उक्त भूमि के विक्रेता मोहरी लाल ुत्र नाथूलाल, निवासी ग्राम गंवार ब्रह्मणान, तहसील सांगानेर से मूल्यवान प्रतिफल राशि प्राप्त कर, उक्त भूमि क्रय किये जाते समय उक्त विक्रय पत्र में वादीया का नाम मीनाक्षी चावला पत्नी रोहित ावला, सहवन से दर्ज कर दिया गया, जिसके पश्चात वादीया द्वारा उक्त भूमि का बंटवारा किये जाने पर वादीया एवं प्रतिवादीया सं. 1 के हक में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी दर्ज की गई है, जबकि वादीया का अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता आदि में सही नाम मंजू चावला पत्नी रोहित चावला, दर्ज है जिस हेतु वादीया द्वारा राजस्थान राजपत्र साधारण, साधिकार प्रकाशित जिल्द सं. 76, बैशाख 26, गुरुवार, 16/05/2024 को राजस्थान राजपत्र मे प्रकाशित करवाया जाकर वादीया ने अपना नाम मंजू चावला पत्नी रोहित चावला निवासी 309, शांति नगर, रोड नं. 2, दुर्गापुरा, जयपुर करवा लिया है। लेकिन वादीया का नाम उक्त वादग्रस्त भूमि में मीनाक्षी चावला पत्नी रोहित चावला अंकित रहने [illegible] को उक्त वादग्रस्त भूमि का सम्पूर्ण रूप से उपयोग उपभोग कर राजस्थान सरकार [illegible] कृषको प्रदत्त सेवाओ को प्राप्त करने मे अत्यधिक कठिनाई [illegible] राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीया का नाम मीनाक्षी चावला पत्नी रोहित चावला दर्ज होने से वादीया द्वारा प्रतिवादी सं. 2 के यहां के यहां, वादीया का नाम गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र साधारण, साधिकार प्रकाशित, जिल्द 76, बैशाख 26, गुरुवार, शाके 1946–मई 16. 2024 अंक 7 मे प्रकाशन अनुसार एवं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता मे वर्णितानुसार दुरूस्त कराने का दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

/05/2024 को निवेदन किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा वादीया को न्यायालय मान के द्वारा दुरूस्ती किया जाना संभव होने का कथन किये जाने से दावा पेश करना वश्यक हुआ है। वादीया वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त होकर उपयोग भोग, कर लगान सरकार को जमा कराती आ रही है लेकिन वादग्रस्त भूमि के जमाबंदी मे दीया का नाम मीनाक्षी चावला पत्नी राहित चावला दर्ज रहने से, वादीया को हक अधिकार सिल है कि वादीया, वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित मीनाक्षी चावला पत्नी रोहित वला हिस्सा 1/2 के स्थान पर सही व वास्तविक वादीया का नाम बतौर खातेदार काश्तकार षित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने की हक अधिकारी है। वादीया को उक्त नुतोष नही दिये जाने की स्थिति में वादीया के हक अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडेगा तथा दीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन के आधार पर अपने खातेदारी हक अधिकारो का र्णरूप से उपयोग उपभोग करने से वंचित हो जायेगी, वादीया द्वारा स्वयं का नाम मंजू चावला त्नी रोहित चावला, निवासी 309, शांति नगर, रोड नं. 2, दुर्गापुरा जयपुर सक्षम राजस्थान राजपत्र धारण के यहां से नियमानुसार प्रकाशित करवाया जा चुका है तथा वादीया का भारत निर्वाचन आयोग व शैक्षणिक दस्तावेजो मे भी मंजू चावला ही नाम अंकित है, ऐसे में उक्त अनुतोष न्यायाहित भी दिया जाना आवश्यक है। वास्तविकता में वादीया का नाम मीनाक्षी चावला पत्नी रोहित चावला, नही होकर मंजू चावला पत्नी रोहित चावला, निवासी 309, शांति नगर, रोड नं. 2. दुर्गापुरा, जयपुर है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज मीनाक्षी चावला पत्नी रोहित चावला एवं वादीया एक ही व्यक्ति है जिस बावत सम्बन्धित राजस्थान राजपत्र साधारण में दिनांक 16/05/2024 को प्रकाशन करवाया जा चुका है तथा सम्बन्धित मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजो में वादीया का सही नाम अंकित है जिस कारण वाद पत्र मे वर्णितानुसार वादग्रस्त भूमि के हिस्से 1/2 भाग का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त वर्णितानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है। यदि वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित विवादित आराजियात में सहवन से भूलवश दर्ज वादीया के नाम के अंकन को दुरूस्त कर इस आशय की घोषणा वाद पत्र में वर्णितानुसार नहीं की गई तो वादीया के साम्पतिक व विधिक अधिकारो का हनन होगा तथा ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादी सं. 1 को सह हिस्सेदार होने से पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी सं. 2 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है जिसके विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना वाद पत्र के अर्जेन्ट नेचर को देखते हुए संभव नही होने से उक्त नोटिस से छूट हेतु धारा 80 (2) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 20/05/2024 को प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादीया को विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किये जाने से इन्कार किये जाने के कारण उत्पन्न होकर लगातार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जा रही है।

वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीया को निम्नलिखित अनुतोष प्रदान किया जावेः–

(क) वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीया के नाम अंकन मीनाक्षी चा[illegible] रोहित [illegible] हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड [illegible] दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावे। खर्चा मुकदमा वादीया को प्रतिवादी [illegible] अनुतोष जो माननीय न्यायालय हितकर वादीया समझें वादीय[illegible] जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:50 IST
Reason: SelfAttested

दावा दर्ज किया जाकर वाद मे अधिवक्ता वा[illegible] को सुना गया। वादिया अधिवक्ता ने वाद मे अंकित तथ्यो को दौहराया एवं अंत मे निवेदन किया कि विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीया के नाम अंकन मीनाक्षी चावला पत्नी रोहित चावला हिस्सा 1/2 के स्थान पर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ाने का आदेश फरमावे। खर्चा मुकदमा वादीया को प्रतिवादी से दिलवाया जावें। अन्य अनुतोष जो ाननीय न्यायालय हितकर वादीया समझें वादीया को प्रतिवादी से दिलवाया जावें।

बहस वादिया अधिवक्ता एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया अधिवक्ता ने जस्थान राज–पत्र साधारण, जिल्द 76 वैशाख 26, गुरूवार शाके 1946–मई 16 2024 अंक 7, ज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर में शपथ पत्र पेश किया। शपथ–पत्र में अंकित किया कि मैं मंजू ावला पत्नी रोहित चावला, निवारी 309 शान्ति नगर, रोड नम्बर 2 दुर्गापुरा जयपुर राजस्थान पथपूर्वक बयान करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, शैक्षणिक योग्याता आदि में ा वास्तविक नाम मंजू चावला दर्ज है जबकि मेरे राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी में मेरा नाम िनाक्षी चावला दर्ज है।उक्त दोनो नाम मेरे स्वयं के ही है परन्तु मेरा वास्तविक नाम मंजू चावला । मैने अपना मिनाक्षी चावला से बदलकर मंजू चावला रख लिया है। भविष्य में मुझे मंजू चावला े नाम से ही जाना जावे। उक्त नाम के बाबत् यदि भविष्य में कोई वाद उक्त नामों के बाबत त्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है।

अतः वाद पत्र में वादिया की ओर से पेश राजरथान राज–पत्र साधारण, जिल्द 76 शाख 26, गुरूवार शाके 1946–मई 16 2024 अंक 7, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर में शपथ त्र के आधार पर यह प्रतीत होता है कि मीनाक्षी चावला पत्नी रोहित चावला एवं मंजू चावला त्नी रोहित चावला एक ही महिला है। अतः उक्त तथ्य के आधार पर वादिया का वाद स्वीकार िया जाकर तहसीलदार सांगानेर को वाके ग्राम गंवार ब्राह्मणान, पटवार हल्का खेडीगोकुलपुरा, भू. ानि. क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में, स्थित है भूमि हाल खाता सं. 191 में र्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 300 रकबा 0.4200 हेक्टेयर, खसरा नंबर 301 रकबा 0.5800 हैक्टेयर, ासरा नंबर 302 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 303 रकबा 0.2200 हैक्टेयर कुल किता 4 का ुल रकबा 1.4700 हैक्टेयर में वादिया का नाम मीनाक्षी चावला पत्नी रोहित चावला के स्थान पर ंजू चावला पत्नी रोहित चावला जाति खटीक निवासी 309. शांति नगर, रोड नं. 2, दुर्गापुरा, ायपुर खातेदार दुरूस्त कर अंकन किये जाने के आदेश दिये जाता है। तहसीलदार सांगानेर को हरीर जारी हो एवं इस अनुरूप पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर द्वितीय, (सांगानेर)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:53:50 IST
Reason: SelfAttested